अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

कमांकः– प.7(98)गृह–12/कारा/2015पार्ट जयपुर, दिनांक 12.4.2016

परामर्शदात्री

माननीय उच्चतम न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कारागृहों में निरुद्ध बंदियों द्वारा पेश पैरोल याचिकाओं में समय–समय पर प्रदान किये गये आदेशों की अनुपालना के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं कारागार मुख्यालय द्वारा परिपत्र/आदेश जारी किये गये है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि इन आदेशो की प्रतियां राज्य स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति को उनके मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध करवाई जाये।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पैरोल) संख्या 9103/2015 जयप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 19.8.2015 में आदेश में यह वर्णित किया कि राज्यस्तरीय परामर्शदात्री समिति जिलास्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों की प्रतियां संकलित कर प्रेषित करे।

इस कम में राज्य सरकार निम्न परामर्श प्रदान करती हैः–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पैरोल प्रकरणों में पारित निर्णयों/आदेशों की प्रतियां संकलित कर जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति की अध्यक्ष व सदस्यों को प्रेषित करे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल पैरोल रिट याचिका संख्या 5152/2010/सूरजगिरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 6.10.2010 महानिदेशक कारागार ने पत्र कमांक 574–602 दिनांक 7.4.2011 के द्वारा सभी जेल अधीक्षक/उपाधीक्षक को प्रेषित की गई थी। उक्त निर्णय की प्रति निर्णयों को संकलित कर अवश्य प्रेषित की जाए।

2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों में निर्णयो/आदेशों की प्रतियां संकलित करे एवं राज्यस्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति के बैठक के समक्ष रखें एवं अनुशंषा करते समय इस पर विचार करे।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल पैरोल रिट पिटीशन 4310/2012 महबूब अली बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 16.5.2012 एवं डी.बी.सिविल पैरोल रिट पिटीशन 8768/2012 पवन कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आदेश दिनांक 30.5.2012 के मध्यनजर इस विभाग द्वारा एक परिपत्र कमांक प. 8(1) गृह–12/कारागार/2007 दिनांक 8.6.2012 के द्वारा जारी कर **यह अपेक्षा की गई थी, कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी जिला पैरोल परामर्शदात्री बैठक की समिति में बंदियो के पैरोल प्रकरणो में प्रतिपादित पैरोल व्यवस्था का गंभीरता पूर्वक एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रतिपादित व्यवस्थाओं के अनुरुप निर्णय लेगें एवं यह सुनिश्चित करे कि निर्णय में स्पष्टता एवं पारदर्शिता परिलक्षित हो।**

उक्त परिपत्र की प्रति पुनः समस्त संबंधित को प्रेषित की जाये।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन पैरोल संख्या 12857/2014 राजेश मौर्य उर्फ चरनसिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2014 की अनुपालना में परिपत्र संख्या प.8(1)गृह–12/कारागार/2007 दिनांक 17.12.2014 को जारी कर जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति को यह निर्देशित किया गया था, कि वे प्रत्येक माह बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करे। उक्त परिपत्र की प्रति पुनः समस्त संबंधित को प्रेषित की जाये।

5. राज्य स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति की बैठक भी प्रतिमाह आयोजित की जाये।

6. राज्यस्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति/जिलास्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति पैरोल प्रकरणों में पूर्ण तथ्यों का परीक्षणकर गुणावगुण के आधार पर अपना निर्णय ले। किसी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ करते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में स्पष्ट अनुशंषा/आदेश दिया जावे।

7. माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के पारित कई न्याय निर्णयों में बंदी को पैरोल पर छोड़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने का अंदेशा होने अथवा शांतिभंग होने की आशंका के आधार पर पैरोल स्वीकृत नहीं करना उचित एवं अच्छा आधार/ कारण नहीं माना है। अतः पैरोल प्रकरणों में मात्र इस एक आधार पर पैरोल अस्वीकृत करने से पूर्व सलाहकार समिति द्वारा इस संबंध में पुख्ता परीक्षण अपेक्षित है और ऐसे कारणों को सलाहकार समिति द्वारा अंकन किया जाकर ही निर्णय लिया जावे।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय/आदेश जो विगत 10वर्षो में विगत प्रकरणों में पारित किये है, को राज्यस्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति की बैठक में अवश्य उपलब्ध करवाये ताकि पैरोल प्रकरण पर विचार–विमर्श किये जाते समय उक्त निर्णय/आदेशों द्वारा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है, की अनुपालना की जा सके।

इसी प्रकार उक्त निर्णय/आदेशों की प्रति जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति को भी प्रेषित करे ताकि सभी स्तरो पर भी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

आज्ञा से,

(के.के.शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः 1. महानिदेशक कारागार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परामर्शानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर इस विभाग को अवगत करावे।

2. समस्त संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने संभागीय क्षेत्र में संबंधित जिलो में जिलास्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होना सुनिश्चित किये जाने हेतु समीक्षा बैठक में उक्त विषयवस्तु को शामिल करे।

3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर को पालनार्थ।

शासन उप सचिव